# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12/2021

प्रविष्टि दिनांक 14–1–2021

मुन्ना उर्फ लाड भाई पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ़ तहसील उनियारा जिला – टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 6–1–2021 मिसल नम्बर 1248/2020**

उपस्थिति : (1) श्री विजय बहादुर अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 20–10–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 6–1–2021 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2196/1289 वाके ग्राम उखलाना में 0.02 है0 रक्बे पर मकान बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 8/रूपये की पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया ओर न ही वास्तविक मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसील[illegible]र जाकर मौके का निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावज[illegible] भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नही?कब्जा साबित ह[illegible]पारित किया जाना चाहिये था। अपीलन्ट का मकान लगभग 50 [illegible] भूमि मे[illegible] है जिस पर कब्जा उसके पिता के [illegible]। उक्त भूमि से कि[illegible] व्यक्ति का कोई सम्बन्ध अथवा लेना देना नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:46:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

कथन है कि तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नहीं किया कि अपरीलान्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर किस जगह पर अतिक्रमण किया है ना ही सीमायें अंकित की हैं ना ही अतिक्रमण का नापचोप अंकित किया है। बिना किसी ठोस साक्ष्य व सबूत के सिविल कारावास जेसे कठार दण्ड से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। विवादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2196/1289 वाके ग्राम उखलाना में 0.02 है0 पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे पत्रावली सं0 441/2020 दिनांक 18–2–2020 को बेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकर्मी साबित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2196/1289 वाके ग्राम उखलाना में 0.02 है0 पर मकान बना कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 4–10–2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेंने विविादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2196/1289 वाके ग्राम उखलाना में 0.02 है0 पर से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया है, ओर मैं भविष्य में उक्त भूमि अथवा सरकारी भूमि पर पुनः कब्जा नहीं करूंगा। जबकि अपील में विवादित भूमि पर अपना हक जताते हुए मकान लगभग 50 वर्ष से अधिक पुराना बना होना ओर आबादी भूमि में स्थित व उसके पिता के समय से बना होना बताया है। अपीलान्ट चरागाह भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 14–1–2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:46:47 IST
Reason: SelfAttested